न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 7/2022 जिला सीकर

1. देवी लाल पुत्र डेडाराम
2. गणपत पुत्र डेडाराम जाति जाट
   समस्त निवासी–ग्राम भढाढर, तहसील धोद जिला सीकर।
3. ओमप्रकाश पुत्र गोपाल,
4. रामचन्द्र पुत्र गोपाल,
5. गणेशराम पुत्र गोपाल, समस्त जाति जाट निवासी ग्राम–भढाढर, तहसील धोद जिला सीकर।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. तहसीलदार जी, धोद, जिला सीकर भूमी धारक।
2. महेन्द्र सिंह पुत्र सुरजाराम
3. गिरधारी पुत्र सुरजाराम समस्त जाति जाट, निवासी भढाढर, तहसील धोद, जिला सीकर।

–रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्ध आज्ञा उपखण्ड अधिकारी जी धोद, जिला–सीकर, दिनांक 20.10.2021 ई0

उपस्थित–

1. श्री श्यामबाबू पारीक, वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 1
3. श्री हरलाल सिंह, वकील रेस्पोडेन्ट नं. 2 व 3

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

निर्णय

दिनांक –10.08.2022

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 20.10.2021 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि :–

तहसीलदार धोद, जिला सीकर ने राजस्व ग्राम भढाढर, पटवार मण्डल भढाढर, तहसील धोद जिला सीकर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 51, 40 व 706/41 कुल किता 3 में से प्रस्तावित रकबा सार्वजनिक रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव दिनांक 20.01.2021 मय नक्शा ट्रेस के उपखण्ड अधिकारी धोद को भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर ने सार्वजनिक उपयोग एवं मौके पर चालू व तहसीलदार से अभिशंसित रास्ता को गै.मु. रास्ता के रूप में पृथक खसरा नम्बर से अंकित किये जाने तथा राजस्व अभिलेख में अमल दरामद के आदेश प्रसारित किये जाने हेतु प्राप्त प्रस्ताव को, शासन द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.09.2021 के अधीन तथा एल.आर. एक्ट 1956, की धारा 131 व 132 एवं भू राजस्व अधि. 1957 के नियम 58, 59, 60 व 86 के प्रावधानों के अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। प्रस्तावित रास्ता परिपत्र के निर्देशानुसार संबंधित खातेदार के खातेदारी में बने रहने तथा रास्ता प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा ट्रेस इस आदेश का भाग रखे जाने आदेश दिये गये।

उप खण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.10.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उप खण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर दिनांक 20.10.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई ।

Scanned by CamScanner

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बर 40 रकबा 3.06 है0 के अपीलान्ट संख्या 1 व 2 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं एवं आराजी खसरा नम्बर 51 रकबा 0.11 है0 के खातेदार अपीलान्ट संख्या 3 से 5 रिकार्डेड खातेदार है भूमि ग्राम भढाढर तहसील धोद में स्थित है। पूर्व में आराजी खसरा नम्बर 40, 51 व 706/41 में तहसीलदार जी धोद ने रास्ता अंकन करने हेतु पटवारी हल्का ने व गिरादवर हल्का ने रिपोर्ट पेश की व तहसीलदार जी धोद ने दिनांक 22.3.2017 ई0 को रास्ते की दुरूस्ती करने व दर्ज करने की अभिशंषा उपखण्ड अधिकारी जी धोद को की। उपखण्ड अधिकारी जी धोद ने 13.07.2017 ई0 को आदेश प्रसारित कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट नं. 1 व 2 ने श्रीमान जी के अपील पेश की जिसे श्रीमान जी अपील संख्या 43/2017 जिला सीकर में अपने आदेश दिनांक 3.6.2019 ई0 से अपील अपीलान्ट स्वीकार कर प्रकरण को रिमाण्ड कर दिया। जिस पर आज दिवस तक उपखण्ड अधिकारी जी ने कोई आदेश प्रसारित नहीं किया है। प्रशासन गांवों के संग अभियान में पटवारी हल्का ने पुनः रिपोर्ट की व गिरदावर हल्का ने 20.10.2021 को अपनी रिपोर्ट की व 20.10.2021 को तहसीलदार जी धोद ने अभिशंषा कर दी व 20.10.2021 ई0 को उपखण्ड अधिकारी जी धोद ने बिना कोई विधिवत प्रक्रिया अपनाये ही प्रार्थीयान की भूमि में डॉटेड लाईन से रास्ता अंकित करने की आज्ञा 20.10.2021 ई0 को प्रसारित कर दी गई। प्रार्थीयान को बिना पक्षकार बनाये, बिना नोटिस दिये ही निर्णय पारित कर दिया। विवादित भूमि का तहसीलदार जी, पटवारी हल्का, गिरदावर हल्का द्वारा कोई मौका नहीं देखा।राजस्व कैम्प में अभियान में समस्त कार्यवाही एक दिन में ही सम्पूर्ण कर दी गई। कब किसके सामने मौका देखा गया एवं मौके के पूर्व किसको नोटिस दिया गया ? विवादित भूमि में रास्ता चाहने हेतु खसरा नम्बर 706/41 के खातेदारान महेन्द्र आदि ने अपीलान्टान् के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी जी धोद के यहॉ रास्ता हेतु धारा 251ए में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा है जिसका कोई निर्णय नहीं हुआ है व जैरकार है के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय देने में भूल की है। प्रार्थीयान की भूमि में कभी कोई रास्ता नहीं रहा न मौके पर कोई रास्ता है। पटवारी हल्का ने पटवार घर में बैठे–बैठे ही पटवारी ने रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की है जब कि गिरदावर, पटवारी या तहसीलदार जी मौके पर गये ही नहीं न मौके का कोई नोटिस ही दिया गया है, ऐसी स्थिति में भी निर्णय योग्य अधिनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधि विरूद्ध होने से अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.10.2021 को निरस्त किया जावे ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोडेन्ट नं. 2 व 3 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार धोद, जिला सीकर ने राजस्व ग्राम भढाढर, पटवार मण्डल भढाढर, तहसील धोद जिला सीकर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 51, 40 व 706/41 कुल किता 3 में से प्रस्तावित रकबा सार्वजनिक रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव दिनांक 20.01.2021 मय नक्शा ट्रेस के उपखण्ड अधिकारी धोद को भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर ने सार्वजनिक उपयोग एवं मौके पर चालू व तहसीलदार से अभिशंसित रास्ता को गै.मु. रास्ता के रूप में पृथक खसरा नम्बर से अंकित किये जाने तथा राजस्व अभिलेख में अमल दरामद के आदेश प्रसारित किये जाने हेतु प्राप्त रास्ता को, शासन द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.09.2021 के अधीन तथा एल.आर. एक्ट 1956, की धारा 131 व 132 एवं भू राजस्व अधि. 1957 के नियम 58, 59, 60 व 86 के प्रावधानों के अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। प्रस्तावित रास्ता परिपत्र के निर्देशानुसार संबंधित खातेदार के खातेदारी में बने रहने तथा रास्ता प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा ट्रेस इस आदेश का भाग रखे जाने के आदेश दिये गये। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद द्वारा निर्णय दिनांक 20.10.2021 के तहत फसल रास्ता, पूर्व से ही मौके पर विद्यमान था। रास्ता के ऐसे प्रकरणों के निस्तारण हेतु

Scanned by CamScanner

निर्धारित प्रारूप में विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए जिसमें तहसीलदार द्वारा प्रश्नगत रास्ता को बारहमासी तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार नहीं बदलने, आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध तथा सुचारू रूप से आवागमन होना करते हुए, राजस्व अभिलेख के स्थाई रूप से अंकन की अभिशंषा की गई है। अपीलार्थी के खेत नं. 40, 51 में जिस खसरा से रास्ता फैसल हुआ है, उसमें रास्ता के रकबा को अपीलार्थी की खातेदारी से पृथक नहीं किया गया है, केवल मौका स्थितिनुसार रास्ता का अंकन (तरमीम) होकर किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज हुई है। फैसल रास्ता कई खसरा नम्बरान से गुजर रहा है, आम रास्ता है, शिविरों के दौरान ऐसे प्रकरणों में शासन द्वारा नोटिस जारी किये जाने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उनका कहना है कि मौके पर प्रचलित रास्ता होने पर आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौका देखकर रास्ते के प्रस्ताव दिये गये थे, जो नियमानुसार स्वीकार कर रिकार्ड में दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा । प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि पूर्व में भी आराजी खसरा नम्बर 40, 51 व 706/41 में तहसीलदार धोद जिला सीकर ने रास्ता अंकन करने हेतु पटवारी हल्का ने व गिरादवर हल्का ने रिपोर्ट पेश की व तहसीलदार धोद ने दिनांक 22.3.2017 को रास्ते की दुरूस्ती करने व दर्ज करने की अभिशंषा उपखण्ड अधिकारी धोद को की गयी थी। उपखण्ड अधिकारी धोद ने दिनांक 13.07.2017 को आदेश पारित कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट नं. 1 व 2 ने इस न्यायालय के समक्ष अपील पेश की। इस न्यायालय के द्वारा अपील संख्या 43/2017 जिला सीकर उनवानी देवी लाल बनाम तहसीलदार धोद व अन्य में अपने आदेश दिनांक 03.06.2019 से प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद को रिमाण्ड किया गया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर ने कोई आदेश पारित नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद ने उन्हीं खसरा नम्बरों के रास्ता दर्ज करने का निर्णय दिनांक 20.10.2021 पारित कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड पत्रावली में दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय पारित करना चाहियें था। लेकिन ऐसा नहीं कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी धोद के स्तर पर उभयपक्षों को सुनकर एवं दोनों प्रकरणों का निरीक्षण कर निर्णय पारित किया जाना अपेक्षित है। उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलकर्ता की अपील आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमान्ड किये जाने योग्य है।

अतः—अपील अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर को रिमांड किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि उभयपक्षों को सुनकर एवं मौके का अवलोकन करके पुनः निर्णय पारित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ.गिरीश पाराशर)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner